COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

57

माननीय राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

/ 01 रिव्यु

कन्हैयालाल केवट पुत्र मुड़िया केवट ,निवासी ग्राम लकोड़ा तहसील बुरहट जिला सीधी - - - - - - आवेदक

विरुद्ध

1 - परिगन केवट पुत्र जोखाई केवट
2 - बिहारी केवट पुत्र जोखाई केवट
3 - कलन्दर केवट पुत्र जोखाई केवट
समस्त निवासी ग्राम लकोड़ा तहसील बुरहट जिला सीधी - - - - - - - - अनावेदकगण

रिव्यु आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 51 मध्य प्रदेश भू0राजस्व संहिता जो निगरानी प्रकरण क्रमांक आर01688 - 3 / 2000 आदेश दिनांक 15/10/2000 को पारित किया गया है ।

श्रीमानजी,

आवेदक का रिव्यु आवेदनपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1 - यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

§1§ यह स्वीकृत तथ्य है कि जोखाई एंव बुद्धू दोनो सगा भाई है । यह भी स्वीकृत तथ्य है कि बुद्धू के जीवनकाल में कन्हैयालाल धारा बटवारा हेतु आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 178 मध्य प्रदेश भू0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत पेश किया और इस आवेदनपत्र में बुद्धू धारा अपना हिस्सा आवेदक कन्हैयालाल को देने की स्वीकारोक्ति की ।

§2§ यहकि, अनावेदक के अनुसार विवादित सम्पत्ति जोखाई की स्वअर्जित सम्पत्ति थी तथा अनावेदक के अनुसार विवादित भूमि पर उनके पिता जोखाई का कब्जा चला आ रहा है इसलिये वे उसके भू स्वामी है तथा बुद्धू धारा कोई दानपत्र अथवा रजिस्टर्ड अथवा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के धारा भूमि अन्तरण नही की गई है इसलिये भूमि अन्तरण नही

क्र. 2358-II/2001
श्री एस0के0श्रीवास्तव अभि0 द्वारा आज दि0 12/12/2001 को प्रस्तुत।
अवर सचिव राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
12 DEC 2001

808
12-12-2001

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2358–एक/01 **जिला** –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
२१.7.16	आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1688–तीन/2000 में पारित आदेश दिनांक 15.10.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 2358–एक/01 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1688–तीन/2000 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 15.10.2000 से किया जा चुका है। 4–रिव्यु प्र0क0 2358–एक/01 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य